न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010056912026

Bail Application/1693/2026
Akram Vs. State of U.P.
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1693/2026

1 अकरम पुत्र तहसीन निवासी मौहल्ला रमपुरा पिलखुवा जिला हापुड
2 तालिब पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम सिखैडा थाना सिम्भावली जिला हापुड

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या–255 सन–2026
अ० धारा– 17/18 पोक्सो एक्ट
थाना– पिलखुवा, जिला– हापुड़।

24.07.2026

अभियुक्तगण 1 अकरम पुत्र तहसीन 2 तालिब पुत्र मुन्ने की तरफ से यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है । इससे पूर्व प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–255 सन–2026 ,अ० धारा 87.,142 बी०एन०एस०, थाना– पिलखुवा, जिला– हापुड़ के प्रकरण में गुण दोष के आधार पर सत्र न्यायाधीशा एफ०टी०सी० प्रथम हापुड द्वारा निरस्त किया जा चुका है ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण एक बेगुनाह बेकसूर व्यक्ति है तथा उन्हें मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सम्मानित परिवार के सदस्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से लिखाई गई है तथा देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। पीडिता का कोई अपहरण नहीं हुआ है तथा फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीडिता की उम्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में 17 वर्ष दिखाई है जो गलत है। पीडिता की उम्र 18 वर्ष से अधिक है। प्रार्थीगण कथित अभियुक्तगण द्वारा जमानत तोडने या

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.24 16:28:02 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

फरार होने का कोई अपेशा नहीं है। प्रार्थीगण कथित अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 87,142 बी०एन०एस० माननीय सत्र न्यायाधीशा एफ०टी०सी० प्रथम के यहां से निरस्त हो चुका है। प्रार्थीगण कथित अभियुक्तगण माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु सक्षम जमानत पेश करने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दि0 08.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है । उक्त आधारों पर प्रार्थी/ अभियुक्तगण को दौरान विचारण जमानत पर छोड़े जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि अभियुक्तगण का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि '' प्रार्थी राजू पुत्र तेजपाल सिंह निवासी बझैडा खुर्द थाना पिलखुवा जनपद हापुड का मूल निवासी हूँ । मेरी बेटी ''ए'' उम्र करीब 17 वर्ष को दिनांक 28.05.2026 को साहिल पुत्र अकरम निवासी मोहल्ला रमपुरा कस्बा पिलखुवा बहला फुसला कर अपने साथ मेरी बेटी को अपहरण कर ले कही लेकर चला गया है । मुझे डर है कि मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो जाये श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी बेटी को तलाश करने की कृपा करे ।''

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, एवं विद्वान विशेष लोक अभियेाजक, की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से पूर्व प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–255 सन–2026 ,अ० धारा– 87.,142 बी०एन०एस०, थाना– पिलखुवा, जिला– हापुड़ के प्रकरण में गुण दोष के आधार पर सत्र न्यायाधीशा एफ०टी०सी० प्रथम हापुड द्वारा निरस्त किया जा चुका है । दौरान विवेचना धारा 17,18 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है, जिस कारण यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है । मामला पोक्सो अधिनियम के अपराध से सम्बन्धित है । अभियुक्तगण का कृत्य अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार

प्रतीत नहीं होता है। अतः द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण 1 अकरम पुत्र तहसीन 2 तालिब पुत्र मुन्ने का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–255 सन–2026,अ० धारा– 17/18 पोक्सो एक्ट, थाना– पिलखुवा, जिला– हापुड़ के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।